



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड,  
देहरादून

Phone & Fax:- 0135-2530467,2531415



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail- [eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक:- 1642 / गुणवत्ता नियन्त्रण/जांच/2015  
सेवा में ,

दिनांक:- 04/11/2015

समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता,  
लो0नि0वि0,  
।

विषय :- शासनादेश संख्या 4807/111(2)/14/लो0नि0वि0/2014 दिनांक 29.08.2014 के  
अन्तर्गत निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त शासनादेश के अनुपालन में विभागीय जांच अधिकारियों (मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं) द्वारा प्रदेश में निर्माणाधीन/निर्मित निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। कतिपय कार्यो की जांच आख्याओं में यह देखने में आया है कि कार्य प्रगति में है तथा कमियों का निराकरण किया जा सकता है फिर भी कार्य को असन्तोषजनक श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त कई जांच आख्याओं में यह भी देखा गया है कि जांच अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान कार्य में पायी गयी कमियों का विस्तृत रूप से उल्लेख नहीं किया जा रहा है और कार्य को सुधारात्मक श्रेणी में रखा जा रहा है जिससे कार्य में पायी गयी कमियों का सही आंकलन नहीं हो पा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि असन्तोषजनक श्रेणी में रखे गये कार्यो हेतु कार्य करवाने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु शासन को संस्तुति भेजी जाती है। समय-समय पर आहूत विभागीय समीक्षा बैठकों में सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि असन्तोषजनक श्रेणी में पाये गये कार्यो के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रभावी दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। गुणवत्ता परीक्षणोपरान्त कार्य को असन्तोषजनक/सुधारात्मक श्रेणी में रखते समय जांच अधिकारी द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का सज्ञान अवश्य लिया जाय।

1. असन्तोषजनक श्रेणी में वही कार्य रखे जाये जिनमें इस प्रकार की कमियां पायी जाती है जो किसी भी दशा में ठीक नहीं करवायी जा सकती हों और जिनका अन्तिमीकरण कर दिया गया हो तथा कार्य विशिष्टियों के अनुरूप न कराया गया हो।
2. जांच अधिकारी द्वारा कार्यो को असन्तोषजनक श्रेणी में रखते समय यह भी ध्यान रखना अति आवश्यक है कि जांच के दौरान पर्याप्त परीक्षण किये गये हैं अथवा नहीं तथा कार्य में पाई गई गम्भीर प्रकृति की कमियों का जांच आख्या में विस्तृत उल्लेख किया जाना अति आवश्यक है।
3. बिटुमिन के ऐसे कार्य जिनमें बिटुमिन व ग्रेट मानकों के अनुसार प्रयोग न की गयी हो तथा मोटाई व डेन्सिटी अनुमन्य सीमा से कम पायी जाए जिसका किसी भी दशा में सुधार किया जाना सम्भव न हो तथा कार्य का अन्तिमीकरण कर दिया गया हो उन कार्यो को भी असन्तोषजनक श्रेणी में रखा जाए लेकिन मोटाई तथा Density की Checking norms के अन्तर्गत (आवश्यक संख्या में) की गयी हो।
4. उक्त के अतिरिक्त अन्य कार्य जो प्रगति में है तथा कार्य में पायी गयी कमियों का सुधार/निराकरण किया जा सकता है और जिनका अन्तिमीकरण नहीं किया गया है। इस प्रकार के कार्यो को सुधारात्मक श्रेणी में रखा जाए। उन कार्यो को भी सुधारात्मक श्रेणी में रखे जाएँ जिनमें जांच अधिकारी का समाधान हो गया हो कि स्वयं खण्ड द्वारा असन्तोषजनक कार्य को Reject किया गया हो तथा ठेकेदार को कार्य तुड़वाने/हटाने का पूर्व में नोटिस दिया गया हो या ठेकेदार द्वारा जानबूझकर/जबरदस्ती कार्य किया गया हो, उस केस में ठेकेदार के विरुद्ध भी की गयी कार्यवाही का उल्लेख किया जाय।
5. इस प्रकार उक्त इंगित उदाहरण अन्य कार्यो में भी अपनाये जायें।

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यो की जांच उक्त शासनोदश के संलग्नक - 2 में दिये गये दिशा निर्देशों को भी जांच अधिकारी द्वारा ध्यान में रखना अति आवश्यक है। अतः भविष्य में कार्यो की गुणवत्ता का परीक्षण उपरोक्तानुसार करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उक्त शासनादेश के संलग्नक-2 की फोटो प्रति।

(आर0सी0 पुरोहित)  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
लो0नि0वि0 देहरादून

5/11/15



मोटर मार्ग/सेतु निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जाँच दलों के लिए  
दिशा निर्देश/जांच के बिन्दु

क. मार्ग (नव निर्माण) के कार्य:-

1. एक लेन तथा दो लेन चौड़ाई के मानकों के अनुरूप Formation Cutting की चौड़ाई (विस्तृत आगणन के प्राविधान के अनुरूप) की जांच।
2. पर्वतीय क्षेत्रों में मानकों के अनुरूप मार्ग का ढाल (Gradient) की जांच।
3. मार्ग पर Superelevation/Camber की जांच।
4. हेयर पिन बैण्ड तथा आन्तरिक मोड़ों पर रेडियस ऑफ करवेचर, Superelevation एवं ग्रेडियन्ट की जांच (विस्तृत आगणन में प्राविधान के अनुसार)।
5. Retaining Wall/Breast Wall ds Slope तथा उनमें प्रयुक्त पत्थरों का साइज तथा निर्धारित Cross-Section की माप।
6. निर्माणाधीन क्रॉस-ड्रेनेज (स्कपर/कल्वर्ट) की मानकों के अनुरूप जांच।
7. मार्ग निर्माण के साथ Longitudinal Drain की स्थिति।
8. ऐसे Part-1 के जॉब जिनका अन्तिमीकरण किया जा चुका है, उनमें काटे गये डिफेक्ट की पुनः जांच।
9. निर्धारित प्राविधानित कार्यों के अतिरिक्त किये जा रहे/किये गये कार्यों की उपयोगिता एवं अधिक्थ/अतिरिक्त मद के सम्बन्ध में टिप्पणी।

ख. मार्ग (पुनर्निर्माण/सुदृढीकरण) के कार्य:-

1. पूर्व निर्मित कच्चे मार्ग जिस पर पुनः निर्माण का कार्य किया जा रहा है, की मानकों के अनुरूप चौड़ाई के सम्बन्ध में जांच।
2. G1, G2 व G3 अथवा जिस स्तर तक कार्य किया गया है में मानकों के अनुसार कार्य स्थल पर सीव एनालिसिस कर Aggregate Size की जांच।
3. G1, G2 व G3 की Consolidation की जांच।
4. G1, G2 व G3 की मोटाई (Crust Thickness) की जांच।
5. प्राविधिक आगणन में स्वीकृत प्राविधान के अनुरूप G1, G2 व G3 में प्रयुक्त Key-Aggregate की मात्रा की जांच।
6. यदि Wet-Mix-Macadam का कार्य किया गया/किया जा रहा है, इस स्थिति में Density एवं Sieve analysis एवं क्रॉस्ट की मोटाई की जांच मानकों के अनुसार।
7. मानकों के G1, G2 व G3 कार्य में प्रयुक्त पत्थर की Aggregate Impact Value तथा Flakiness index की जांच।
8. Bitumenous कार्य में P.C. के कार्य हेतु प्रयुक्त grit sieve analysis कर जांच।
9. Bitumenous कार्य की मोटाई की जांच।
10. Bitumenous कार्य के अन्तर्गत निर्माणाधीन BM/SDBC/DBM/BC कार्य में Bitumin content की प्लान्ट स्थल पर जांच तथा किये गये कार्य की Density व मोटाई जांच।
11. प्लान्ट साइट पर एकत्रित/प्रयोग किये जा रहे विभिन्न साइज के Aggregates dh sieve analysis तथा मानकों/जॉब मिक्स फार्मूला के अनुरूप Combined sieve analysis.
12. BM/SDBC/DBM/BC विशिष्ट प्रकार की जांच हेतु Core cutter Sample लेकर प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजने की कार्यवाही।
13. BM/SDBC/DBM/BC कार्य हेतु प्लान्ट साइट पर साइट लैब की स्थापना के सम्बन्ध में टिप्पणी।
14. प्लान्ट स्थल पर Weigh Bridge के नाप-तोल की accuracy की प्रमाण पत्र की जांच।
15. प्राविधिक आगणन/अनुबन्ध के अनुरूप भवज उपग plant के Computerised होने सम्बन्धी टिप्पणी।
16. BM/SDBC/DBM/BC में रफोमीटर की अनिवार्यता।

